

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
(निदेशालय चिकित्सा शिक्षा)

जनता कॉलोनी, पिक स्क्वायर मॉल के पास, गोविन्द मार्ग, जयपुर

क्रमांक प. 1(79) डीएमई/राज- मेस/2017/5684

दिनांक: 30/8/2017

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं. 3441 दिनांक 31.05.2017 एवं 5241 दिनांक 04.08.2017 के द्वारा विभिन्न फ़ैकल्टी में नवीन मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इन आदेशों में अंकित चिकित्सक शिक्षकों को इस कार्यालय के आदेश सं. 5411 दिनांक 14.08.2017 के द्वारा पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.08.2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

1. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं और अभी तक निर्धारित अवधि में अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर पाये हैं, को अग्रिम आदेश तक ज्वाइन करने के लिए शिथिलता प्रदान की जाती है।
2. शेष अभ्यर्थियों के लिये कार्य ग्रहण की अन्तिम तिथि 30.08.2017 के स्थान पर 10.09.2017 निर्धारित की जाती है, उसके पश्चात् कार्यग्रहण हेतु कोई समय वृद्धि नहीं की जावेगी। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किए जा रहे हैं।

समन्वयक (RAJ-MES)

एवं अति. निदेशक (प्रशा0)

क्रमांक प. 1(79) डीएमई/राज- मेस/2017/5684

दिनांक: 30/8/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष राजमेस, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पाली, चूरू, डूंगरपुर, भरतपुर एवं भीलवाड़ा।
- 4 सदस्य..... राजमेस, जयपुर।
- 5 वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 6 सम्बन्धित अभ्यर्थी डॉ०.....
- 7 रक्षित पत्रावली।

समन्वयक (RAJ-MES)

एवं अति. निदेशक (प्रशा0)